दिनांक 28.02.2019 को अपराह्न 2:00 बजे मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों के मूल्यांकन के संबंध में कार्यदायी संस्थाओं के साथ सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण/सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों का परिचय करते हुए अभिनन्दन किया तथा बैठक में अनुपस्थित कार्यदायी संस्था, ग्रामीण निर्माण विभाग, डोईवाला, सिंचाई विभाग, प्रखण्ड–कालसी, देहरादून को भविष्य हेतु सचेत किये जाने के निर्देश दिये जाने के उपरान्त निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की ग्यी।

2. बैठक में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपद देहरादून में 5 निर्माण कार्यों हेतु ₹ 100.25 लाख, जनपद ऊधमसिंहनगर में 7 निर्माण कार्य हेतु ₹ 42.72 लाख तथा जनपद नैनीताल में 03 निर्माण कार्य हेतु ₹ 57.03 लाख अर्थात कुल स्वीकृत ₹ 200.00 लाख की धनराशि के निर्माण कार्यों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान यह संज्ञान में आया कि जनपद नैनीताल से संबंधित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग उपस्थित नहीं हुए है, उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल को मात्र अल्पसंख्यक विकास निधि से संबंधित सूचनाएं लेकर भेजा गया है, उक्त योजना से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। तथा बैठक में निर्माण कार्य से संबंधित पूछे गये प्रश्नों का उत्तर भी संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा नहीं दिया गया, जिस हेतु मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि भविष्य में आहूत बैठकों में वहीं अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हो, जो संबंधित प्रकरण/निर्माण कार्य से भली भांति भिज्ञ हो। श्री ओमप्रकाश, परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऊधमसिंहनगर एवं श्री संदीप मित्तल, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद ऊधमसिंहनगर में स्वीकृत निर्माण कार्य के संबंध में अनुबन्ध हो गये है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जो मार्च, 2019 तक पूर्ण हो जायेंगे। इस संबंध में मा0 अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अनुबन्ध के अनुसार ससमय निर्माण कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र मय फोटोग्राफ्स एवं भौतिक सत्यापन आख्या सहित संबंधित जिलाधिकारी, के माध्यम निदेशालय को उपलब्ध कराये के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः निदेशालय स्तर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल, लघु सिंचाई, देहरादून, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऊधमसिंहनगर)

3. बैठक में अल्पसंख्यक विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद टिहरी गढ़वाल में 01 निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत ₹ 30.00 लाख की धनराशि व 2015–16 में उक्त स्वीकृत निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त एवं 03 नवीन कार्यों हेतु स्वीकृत ₹ 61.00 लाख की धनराशि अर्थात् कुल स्वीकृत ₹ 91.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष श्री राकेश कुमार निराला, सहायक अभियन्ता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 69.00 लाख का उपभोग कर लिया गया है। इस संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा लगभग 4 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी धनराशि का उपभोग न किये जाने पर असन्तोष व्यक्त करते हुए उक्त स्वीकृत ₹ 91.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र मय फोटोग्राफ्स तथा भौतिक सत्यापन आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से अप्रैल, 2019 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल एवं संबंधित कार्यदायी संस्था)

4. अल्पसंख्यक विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद ऊधमसिंहनगर में 8 निर्माण कार्यों हेतु ₹ 110.89 तथा जनपद नैनीताल में 13 निर्माण कार्यों हेतु ₹ 26.75 लाख अर्थात्

कुल स्वीकृत धनराशि ₹ 137.64 लाख के संबंध में चर्चा की गयी। श्री ओमप्रकाश, परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऊधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि 5 निर्माण कार्य से संबंधित यू.सी. उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा 1 निर्माण कार्य रूद्रपुर आदर्श कालोनी स्थित श्री गुरूनानक पब्लिक स्कूल व श्री गुरू नानक प्राथमिक विद्यालय के पास अध्ययन कक्षों का निर्माण में पुरानी स्कूल/विद्यालय का भवन झरझर होने के कारण संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर उसका भी निर्माण अपने स्तर से कराये जाने के कारण यू.सी. में विलम्ब हुआ है। वर्तमान में पुराने भवन को ध्वस्त कर दिया गया है, के दृष्टिगत निर्माण कार्य जून, 2019 में तथा श्री रमेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधमसिंहनगर द्वारा 01 निर्माण कार्य वार्ड नं0 महुआखेडा काशीपुर में करनसिंह के मकान से मुन्नी के मकान तक सी.सी.मार्ग का निर्माण कार्य 10 मार्च, 2019 तक पूर्ण किये जाने से अवगत कराया गया। जनपद नैनीताल में स्वीकृत 13 निर्माण कार्यों के संबंध में श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त निर्माण कार्य मार्च, 2019 में पूर्ण हो जायेगें। इस संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त स्वीकृत समस्त कार्यों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र मय फोटोग्राफ्स तथा भौतिक सत्यापन आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से मार्च, 2019 तथा उपरोक्तानुसार जून, 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल एवं संबंधित कार्यदायी संस्था)

5. कब्रिस्तान में चाहरदीवारी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद पिथौरागढ़ में 1 निर्माण कार्यों हेतु ₹ 37.70 तथा जनपद अल्मोड़ा में 02 निर्माण कार्यों हेतु ₹ 274.43 लाख के सापेक्ष आतिथि तक यू.सी. उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। इस संबंध में श्री मदन लाल, अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा स्वीकृत 01 निर्माण कार्य की यूसी. संबंधित कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग तथा श्री बी.एस.महरा, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा एन.टी.डी. में मसीही कब्रिस्तान की चाहरदीवारी से संबंधित यू.सी. उपलब्ध कराते हुए कर्बला में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण हो जायेगा, से अवगत कराया गया। इस संबंध में उक्त दोनों जनपदों में स्वीकृत निर्माण कार्य से संबंधित यू.सी. मय फोटोग्राफ्स, भौतिक सत्यापन आख्या सहित जिलाधिकारी, के माध्यम से मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा एवं संबंधित कार्यदायी संस्था)

6. कब्रिस्तान में चाहरदीवारी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1 निर्माण कार्य हेतु ₹ 7.06 लाख की धनराशि, जनपद हरिद्वार में 10 निर्माण कार्यों हेतु ₹ 256.98 लाख की धनराशि, जनपद देहरादून में 7 निर्माण कार्य हेतु ₹ 223.05 लाख की धनराशि तथा जनपद ऊधमसिंहनगर में 10 निर्माण कार्यों हेतु ₹ 301.47 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, के संबंध में चर्चा की गयी। इस संबंध में जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर से संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्वीकृत धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथा श्री संदीप मित्तल, सहायक अभियन्ता, लघु सिचांई विभाग, देहरादून एवं श्री मुकेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष अनुबन्ध आदि की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में धनराशि अभी तक क्यों प्राप्त नही हुई, के संबंध में सूचना चाही गयी। इस संबंध में श्रीमती शमा प्रवीन, आशुलिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि कब्रिस्तान में चाहरदीवारी एवं अल्पसख्यंक विकास निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि निदेशालय स्तर से संबंधित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाती है, तदोपरान्त जिलाधिकारी स्तर से जिला अल्पसख्यंक/समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने में लगभग 3 से 4 माह का समय व्यतीत हो जाता है। इस संबंध में निदेशालय स्तर से प्रस्ताव/अनुस्मारक भी शासन को प्रेषित किया गया है कि जिस प्रकार एम.एस.डी.पी.योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि निदेशालय के माध्यम से संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाती है, उसी प्रकार प्रश्नगत दोनों योजनाओं में भी निदेशालय स्तर से स्वीकृत धनराशि सीधे कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये

जाने के संबंध में दिशा–निर्देश चाहें गये है, जो आतिथि तक अप्राप्त है। इस संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः अनुस्मारक शासन को प्रेषित करते हुए प्रति मा0 अल्पसख्यंक आयोग को भी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि मा0 अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से भी प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त जनपद देहरादून में निर्माण कार्य अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ससमय पूर्ण करते हुए यू.सी. उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः शासन/निदेशालय, अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून एवं संबंधित कार्यदायी संस्था)

7. बैठक में एम.एस.डी.पी. वर्तमान में परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री जन विकास योजनान्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में स्वीकृत निर्माण कार्यों के संबंध में गहनता से विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के दौरान संज्ञान में आया कि 12वीं. पंचवर्षीय योजमान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष अधिकतर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है अथवा निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है तथा शेष निर्माण कार्यों के संबंध में बैठक में उपस्थित श्री संजय जैन, परियोजना प्रबन्धक, ब्रिडकुल देहरादून द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनसे संबंधित निर्माण कार्यों की प्रथम किस्त की यू.सी. माह दिसम्बर, 2018 एवं माह जनवरी, 2019 में जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर कार्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है, किन्तु द्वितीय किश्त की धनराशि अभी तक जारी नहीं की गयी है। इस संबंध में श्री मोहसिन, कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा अवगत कराया गया कि यू.सी. आतिथि तक निदेशालय को अप्राप्त है। इस संबंध में श्री जैन, परियोजना प्रबन्धक, ब्रिडकुल को निर्देशित किया गया कि वह जनपद स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर यू.सी. तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त योजना से जिन निर्माण कार्यों की द्वितीय किस्त शासन स्तर से जारी हो गयी है, वह यथाशीघ्र संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करा दी जायें एवं संबंधित समस्त कार्यदायी संस्थाओं को भी निर्देश दिये गये कि वह निर्माणाधीन निर्माण कार्यों को अनुबन्ध के अनुसार ससमयं पूर्ण करते हुए तकनीकी परीक्षण आख्या उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः निदेशालय/जनपद/संबंधित कार्यदायी संस्था)

8. इसके अतिरिक्त मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये कि वह प्रत्येक निर्माण कार्य को अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप एवं उपयुक्त सामग्री का प्रयोग करते हुए ससमय पूर्ण कर यू.सी. उपलब्ध कराये। साथ ही अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक दिग्दर्शिका हेतु निर्माण कार्य से संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र पर तीन दिन के अन्दर ई–मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये गये। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माणाधीन/पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों का समय–समय पर निदेशालय/मा0 आयोग के स्तर से भौतिक सत्यापन/स्थलीय निरीक्षण किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः निदेशालय, अल्पसख्यंक आयोग एवं समस्त कार्यदायी संस्था)

9. अन्त में उक्त समस्त निर्देशों का पालन किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित करते हुए सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
निदेशक

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, निकट आश्रम पद्वति विद्यालय, अधोईवाला, देहरादून।

पत्रांक 1366/नि.अ.क./675–समीक्षा बैठक/कार्यवृत्त/2018–19 दिनांक 08 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री जी, को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून को मा0 अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।

4. जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल।
5. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, ब्रिडकुल, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंनहगर।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, तपोवन, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, य़मुना कालोनी, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, पुरोड़ी–देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर।
11. अधिशासी अभियन्ता, लघ सिंचाई विभाग, तपोवन, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
12. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भवाली, भीमताल, हल्द्वानी–नैनीताल।
13. अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड नई टिहरी।
14. जिला अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल।
15. जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं पौड़ी गढ़वाल।
16. निदेशालय में कार्यरत संबंधित पटल सहायकों को उक्त निर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
निदेशक